संख्या- 1 /17एम(4)/35-आ0-1/2009-12-टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/विकलांगजन विकास/
अल्पसंख्यक कल्याण/महिला कल्याण/खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0 शासन।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1
नियोजन विभाग

लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर 05, 201

विषय: सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन तथा प्रत्येक लाभार्थी को आधार नम्बर/नामांकन से लिंक किया जाना।

महोदय,

सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक:13-11-2014 द्वारा सरकार की निम्नलिखित विकास योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आच्छादन में सुधार हेतु डेटाबेस का डिजिटाइजेशन तथा मार्च, 2015 तक इस डाटा को आधार लिंक करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं:-

(i) मनरेगा
(ii) पेंशन योजनायें (वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा को सम्मिलित करते हुये)
(iii) दशमोत्तर छात्रवृत्तियां- एस0सी0/एस0टी/अल्पसंख्यक
(iv) पी0डी0एस0 राशनकार्ड धारक
(v) एल0पी0जी0 उपभोक्ता जो सब्सिडी कनेक्सन वाले हैं।

उक्त के सन्दर्भ में इस कार्य के कुशलतापूर्वक संचालन व इसे प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

1- आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु मण्डलायुक्त को रजिस्ट्रार व जिलाधिकारी को संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है। आधार कार्ड का नामांकन राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न कारणोंवश नहीं हो पाया था, परन्तु अब इस पर नीतिगत निर्णय हो चुका है तथा शीघ्र ही इस कार्य हेतु नियुक्त रजिस्ट्रार (मण्डलायुक्त) के माध्यम से निर्धारित समय-सारणी के अनुसार एजेन्सियों का चयन करते हुये नामांकन का कार्य आरम्भ किया जायेगा। परन्तु यह कार्य जनवरी के पश्चात् ही प्रारम्भ हो सकेगा, अतः इसके लिये आवश्यक है कि यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आबद्ध किये गये नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार व उनसे सम्बद्ध एजेन्सियों के माध्यम से जिला प्रशासन के नेतृत्व में आधार कार्ड लिंकिंग का कार्य बिना किसी विलम्ब के आरम्भ कर दिया जाये। जैसे-जैसे राज्य सरकार के माध्यम से एजेंसियां तय होंगी, तो तदनुसार उनका भी उपयोग इस कार्य के लिये किया जायेगा।

2- चयनित विभाग विकास योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी विभाग पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस का प्राथमिकता के आधार पर डिजिटाइजेशन करेंगे। डिजिटाइजेशन एन0आई0सी0 के माध्यम से कराया जाना है तथा इन सभी में आधार कार्ड संख्या को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध हो। जनपदस्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटाइज्ड सूची में लाभार्थियों का आधार नम्बर/आधार नामांकन संख्या अंकित किये जाने का

कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना है। जनपदस्तरीय विभागीय अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके आधार नामांकन का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च, 2015 पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिन लाभार्थियों के पास आधार नम्बर/आधार नामांकन संख्या नहीं ह उन्हें मार्च, 2015 के बाद लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है।

3- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना में सभी सम्बन्धित लाभार्थियों को साम सत्यापन प्रक्रिया में आधार नम्बर से लिंक किया जाये। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड बन चुके हैं, उ आधार कार्ड संख्या विभागीय जनपदस्तरीय अधिकारियों के निर्देशन में ग्रामस्तरीय कर्मचारियों द्वारा सत्यापन र में अंकित की जायेगी तथा जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आ कार्ड बनवाये जाने हेतु आधार नामांकन केन्द्र पर लाया जायेगा तथा साथ ही साथ सत्यापन सूची में नामां संख्या भी अंकित की जायेगी। उन्हें यह भी समझाना होगा कि आधार नामांकन संख्या के अभाव में वे विभि सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ/सहायता यथा-मनरेगा का जाब-कार्ड आदि सुविधाओं के मिलने में मा 2015 के पश्चात कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार जिन कार्डधारकों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं, उनका नम्बर प्राप्त किया जायेगा तथा शेष का नामांकन करते समय ही नामांकन/पंजीकरण संख्या प्राप्त किया जाये तथा उसे डेटाबेस में अंकित किया जायेगा। ग्रामस्तरीय कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्त कर डेटाबेस अंकित करने का सारा दायित्व विभागीय जिलास्तरीय अधिकारियों का होगा।

4- समाज कल्याण/विकलांगजन विकास/महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाउ (वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा) की वर्ष 2015-16 की होने वाली सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को माह जनवरी 2015 से मार्च, 2015 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस सूची में जिन पात्र पेंशनधारकों का आधार कार्ड बन चुक है, की आधार संख्या भी साथ-साथ एकत्र की जायेगी। जो पेंशनधारक अभी आधार नामांकन नहीं करा सके ह उनको मार्च, 2015 तक ग्रामस्तरीय कर्मचारियों के सहयोग से आधार कार्ड एजेन्सियों द्वारा नामांकन कर आधा कार्ड बनवाये जायेंगे। ग्रामस्तरीय कर्मचारियों के पास पेंशनधारकों की पूरी सूची उपलब्ध है जिसमें आधार कार्ड वाले पेंशनधारकों की आधार संख्या सम्मिलित करनी होगी।

5- समाज कल्याण/पिछडावर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजना के सम्बन्ध में अगले शैक्षणिक वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में आधार कार्ड नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य करने पर विचार किया जाये। जिन छात्र-छात्राओं के पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनका नामांकन कराना अनिवार्य होगा एवं ऐसी दशा में आधार कार्ड के स्थान पर नामांकन/पंजीकरण संख्या प्रार्थना-पत्र में देना अनिवार्य होगा। आधार नामांकन कैम्प प्राथमिकता के आधार पर कालेजों में लगाये जायें जिससे सभी छात्र-छात्राओं का आधार नामांकन सुविधापूर्वक पूरा किया जा सके तथा पूर्व में छात्रवृति पाये छात्र-छात्राओं की आधार नामांकन की सूचना सम्मिलित की जा सके। इसी प्रकार मदरसों में भी आधार नामांकन कैम्प लगाकर प्राथमिकता पर छात्र-छात्राओं का आधार नामांकन कराया जायेगा। तदनुसार ही समाज कल्याण विभाग, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग व अल्प संख्यक कल्याण विभाग अपनी-अपनी नियमावली में वर्ष 2015-16 के लिये अपेक्षित संशोधन कर देंगे एवं साफ्टवेयर में भी तदनुसार संशोधन करेंगे।

6- खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त राशनकार्ड धारकों के मुखिया की आधार संख्या मार्च, 2015 तक राशनकार्डो में अंकित करना सुनिश्चित किया जाये। जिन राशनकार्ड धारकों का आधार नामांकन नहीं हुआ है, उनके नामांकन मार्च, 2015 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाये। लाभार्थी को यह संदेश देना आवश्यक है कि मार्च, 2015 के बाद यदि आधार नम्बर नहीं सम्मिलित होता है तो उस राशनकार्ड धारक को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

7- यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ अपने अधीनस्थ नॉन स्टेट रजिस्ट्रार के माध्यम से सभी एजेन्सियों को निर्देशित करेंगे कि जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्त योजना के लाभार्थियों हेतु आधार कार्ड बनाने के

लिये रणनीति तय करने एवं कैम्प आयोजित करने के लिये जो भी बैठकें होंगी, उसमें वे उपस्थित होंगे तथा इन बैठकों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे जिससे कि यह कार्य अपेक्षित गति से सम्पन्न हो सके। क्षेत्रीय कार्यालय समस्त जिलाधिकारियों को तथा नियोजन विभाग को समस्त जिलों में कार्यरत नॉनस्टेट रजिस्ट्रार एवं उनके द्वारा आबद्ध एजेन्सियों की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

8- यह समस्त कार्य जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के मार्ग-दर्शन व नेतृत्व में सम्पन्न कराया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित योजनाओं को संचालित करने वाले जिलास्तरीय अधिकारी जैसे:- परियोजना निदेशक (डी0आर0डी0ए0), जिला पंचायत राज अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/लेखपाल) के माध्यम से इस कार्य को सम्पन्न करायेंगे। आधार कार्ड नामांकन के कैम्पों का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम बड़ी ग्राम पंचायतों को लिया जाये। इस कार्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य व जिला स्तर से प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से कराया जाये जिससे कि सामान्य नागरिकों को इसकी जानकारी रहे और अधिक-से-अधिक संख्या में आधार कार्ड बनवाने हेतु निर्धारित शिविरों में आ सकें। इस योजना के सम्बन्ध में जनसामान्य में यह संदेश प्रसारित किया जाये कि अगर सम्बन्धित लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है अथवा उन्होंने आधार कार्ड के लिये नामांकन नहीं कराया है तो अगले वित्तीय वर्ष से उक्त योजना के लाभ प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये समय से आधार नामांकन तथा लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 1 (1)/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12-टी0सी0, तद् दिनांक:

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री विजय एस0 मदान, महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, भारत सरकार, योजना आयोग, तृतीय तल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली - 110001
2- सुश्री सिन्धुश्री खुल्लर, सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार को उनके पत्र दि0:13-11-14 के सन्दर्भ में।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- उपनिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव